राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 1(2)राछा/सान्याअवि/26/ई फाईल 01234 जयपुर, दिनांक – यथा ई–हस्ताक्षरित

आदेश

विभागीय राजकाज रेफरेन्स नम्बर 22406494 दिनांक 26.05.2026 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में वर्ष 2026–27 में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 27 मई 2026 से प्रारम्भ कर अंतिम तिथि 31.07.2026 नियत की गई थी। छात्रावासों में अधिकतम प्रवेश देकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासो में ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर **31.08.2026** जाती है। साथ ही विद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासो मे विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 23141307 दिनांक 01.07. 2026 द्वारा अंतिम तिथी 31.07.2026 की गई थी जिसको भी बढाकर 31.08.2026 की जाती है।

समस्त जिलाधिकारियों, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों एवं छात्रावास अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शत–प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालयों, /विद्यालयो एवं स्थानीय स्तर पर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कर छात्रावासों में शतप्रतिशत प्रवेश नियमानुसार सुनिश्चित करें।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 7 1(2)राछा/सान्याअवि/26/ई फाईल 01234 जयपुर, दिनांक – यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

1.विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3.निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4.जिला कलक्टर, ...।
5.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
6.अतिरिक्त निदेशक, छात्रावास, मुख्यालय।
7.संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समस्त को भेजकर लेख है कि प्रचार प्रसार कर छात्रावास मे शतप्रतिशत प्रवेश किया जाना सुनिश्चित करे।
8.संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें एवं छात्रावास प्रवेश पोर्टल पर अंतिम तिथि बढाई जाना सुनिश्चित करावें।
9.समस्त छात्रावास अधीक्षक, ...।
10.आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-01
12:51:33 IST

RajKaj Ref No.:
23680702

v-1.0